RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 05/2026

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी–
श्री जसराज चौधरी पुत्र जेठाराम निवासी भाण्डियावास, बालोतरा हाल प्रो. न्यू बाबा रामदेव होटल/रेस्टोरेन्ट, पटाउ, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्रीमती रूघाराम कड़वासरा, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित ।

आदेश

दिनांक : 29.04.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 18.03.2026 को श्री रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स न्यू बाबा रामदेव होटल/रेस्टोरेंट पटाउ, बालोतरा का निरीक्षण पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री उम्मेदाराम/खेताराम, निवासी तारातरा उपस्थित मिले। मौके पर 4 वाणिज्यक गैस सिलेण्डर भट्टी से गैस पाईप लाईन से जुड़े पाए गए तथा 30 वाणिज्यक सिलेण्डर भण्डारित किये कुल 34 व्यावसायिक सिलेण्डर दुकान में रखे हुए वक्त जांच पाए गये, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र.सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	0097266 b	Indane	19.0	19.0	0
2.	Erosed	Indane	38.0	19.0	19.0
3.	90900	HP	38.2	19.2	19.0
4.	000039 टी	HP	38.2	19.2	19.0
5.	Erosed	Indane	37.7	18.7	19.0
6.	0637181	HP	38.0	19.0	19.0
7.	021400 S	HP	38.2	19.2	19.0
8.	Erosed	HP	38.2	19.2	19.0
9.	072002	Indane	38.0	19.0	19.0

जिला कलक्टर
बालोतरा

10.	00183	HP	38.0	19.0	19.0
11.	Erosed	Indane	38.8	19.8	19.0
12.	020822 T	HP	38.4	19.4	19.0
13.	027373	HP	38.5	19.5	19.0
14.	0078444 T	HP	38.4	19.4	19.0
15	Erosed	HP	38.2	19.2	19.0
16.	106741	गौ गैस	36.9	17.9	19.0
17.	86905	गौ गैस	20.30	18.0	2.3
18	92746	Indane	26.4	18.9	7.5
19.	403409	HP	25.6	19.1	6.5
20	197860 P	HP	21.5	19.2	2.3
21.	020282	HP	34.0	19.0	15.0
22.	246453 T	HP	33.3	19.5	13.8
23.	002 Erosed	HP	33.2	19.2	14.0
24	32285	HP	19.7	19.7	0
25	00204	HP	19.2	19.2	0
26.	1006420	Indane	19.1	19.1	0
27.	Erosed	Indane	19.1	19.1	0
28.	0172566	Indane	19.5	19.5	0
29.	18713816	Indane	18.9	18.9	0
30	013775	HP	19.0	19.0	0

2. मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के भण्डारण के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उक्त सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स चौधरी एच पी गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री कैलाशसिंह/अचलाराम कार्मिक को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के भण्डारण के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के क्लॉजों का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया अप्रार्थी की न्यू बाबा रामदेव होटल पटाउ में है। उक्त दूकान का food safety का प्रमाण पत्र लिया हुआ है। उक्त जब्तशुदा व्यावसायिक गैस सिलेण्डर बिल से खरीदा हुआ है। उक्त सिलेण्डर

जिला कलक्टर
बालोतरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

व्यावसायिक हेतु उपयोग लिया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी द्वारा न तो सिलेण्डर को बैचा जाना व न ही एक दुसरे सिलेण्डर में रिफलिंग करना बताया गया। आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर उक्त व्यावसायिक सिलेण्डर जब्त किया गया है, जो गलत है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए मेरी सिलेण्डेर वापस दिलाने का आदेश फरमावे।

5. हमने सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग करने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स चौधरी एच पी गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री कैलाशसिंह/अचलाराम कार्मिक को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के क्लॉजों का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा दुकान का food safety लाइसेंस लिया हुआ है। उक्त सिलेण्डर बिल द्वारा खरीदे गये है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी द्वारा न तो सिलेण्डर को बैचा जाना व न ही एक दुसरे सिलेण्डर में रिफलिंग करना बताया गया। आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर उक्त व्यावसायिक सिलेण्डर जब्त किया गया है, जो गलत है। उक्त सिलेण्डर जब्त करने से अप्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा है। लिहाजा उसके विरूद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर उसे दिये जाने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा व्यावसायिक गैस सिलेण्डर से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया गया है, होना बताया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी द्वारा न तो सिलेण्डर को किसी को बैचा जाना और न ही एक दुसरे सिलेण्डर में रिफलिंग करना बताया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर के संबंध में आवश्यक दस्तावेज व बिल प्रस्तुत किय गये। प्रकरण मे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन होना नही पाया गया है। गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद नहीं है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस को पुनः अप्रार्थी को सुपुर्द करें। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, बालोतरा को सूचनार्थ एवं पालना हेतु प्रेषित हो।

7. आदेश आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जिला कलक्टर
(सुशील कुमार)
जिला [illegible] बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा